भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3537
उत्तर देने की तारीख 22 मार्च, 2023

निर्बाधित मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं

3537. श्री रामशिरोमणि वर्मा:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य दूरसंचार सेवाओं के साथ-साथ मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को निर्बाध रूप से बहाल करने के लिए किए गए/किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उत्तर प्रदेश में खराब दूरसंचार सेवाओं वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) उक्त क्षेत्रों में उपर्युक्त स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट सुविधा की मांग और आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने, इंटरनेट केबल बिछाने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ङ) मार्च 2022 तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय ईकाइयों और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के 1,05,531 गांवों में से 1,05,257 गांवों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है जिसमें 1,05,156 गांवों में 3जी अथवा 4जी कवरेज और 101 गांवों में 2जी मोबाइल कवरेज उपलब्ध है।

बलरामपुर जिले के श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र के 1016 गांवों में से 992 गांवों को मोबाइल नेटवर्क से कवर किया गया है और श्रावस्ती जिले के 536 गांवों में से 531 गांवों को मोबाइल नेटवर्क से कवर किया गया है।

मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं उत्तर प्रदेश राज्य और श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के सेवा से वंचित गांवों में सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार हेतु सरकार द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के वित्तपोषण से कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। इन स्किमों का ब्यौरा अनुबंध-। में संलग्न है।

अनुबंध-।

माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को "निर्बाधित मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं" के संबंध में पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3537 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

देश भर के ग्रामीण, जनजातीय और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुधारने हेतु स्किमों/परियोजनाओं का ब्यौरा:

- 24,680 सेवा से वंचित गांवों को 4जी से कवर करने के लिए यूएसओएफ 4जी सेचुरेशन स्कीम और 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाना है।
- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्र चरण-।। में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2211 करोड़ रूपए है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम के तहत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। इन स्किमों की अनुमानित लागत 3637 करोड़ रूपए है।
- आकांक्षी 7,287 जिला गांवों (आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओड़िशा) में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। और चार राज्यों (नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान) में आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7152 करोड़ रूपए है।
- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सीमावर्ती क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सेवा से वंचित 354 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत 337 करोड़ रूपए है।
- अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में सेवा से वंचित 85 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज और एनएच223 पर निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत 130 करोड़ रूपए है।
- अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चैन्नई तथा अण्डमान और निकोबार द्विपसमूहों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना;
- कोच्चि और लक्ष्यद्वीप द्वीपसमूहों के बीच सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी।
- सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को ब्रॉडबैंड अवसंरचना से कनेक्ट करने हेतु नेटवर्क सृजित करने के लिए भारतनेट परियोजना।
- चार राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान के आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलबध कराने के लिए स्कीम।

*****